

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईव्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

दीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 585/2022

वाद पत्र अं. घारा 88/53 आर.टी.ए.

सत्यनारायण पुत्र स्व. सहीराम जाति ब्राह्मण नि.बोलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-वादी-

बनाम

1. राधेराम | पुत्रगण स्व. सहीराम जाति ब्राह्मण निवासी 45 एन.डी.आर.
2. रामेश्वरलाल | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
3. द्रोपती पत्नी तिलोकचन्द पुत्री सहीराम | जाति ब्राह्मण निवासी जोरावरपुरा तहसील
4. तुलछी पत्नी पृथ्वीराज पुत्री सहीराम | व जिला हनुमानगढ (राज.)
5. शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी बृजमोहन पुत्री सहीराम जाति ब्राह्मण नि.फैफाना तह. नोहर जिला हनुमानगढ
6. शकुन्तला पत्नी राजेन्द्र पुत्री सहीराम जाति ब्राह्मण नि.चक 44 एन.डी.आर. तह.पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
7. जगसीरसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख साकिन बोलावाली तहसील संगरिया।
8. बीरबलगोदारा पुत्र रूपा जाति जाट साकिन बोलावाली तहसील संगरिया

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 7-1-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे

श्री. आमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 7

पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक

अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

1. सत्यनारायण पुत्र सहीराम जाति ब्राह्मण साकिन बोलावाली की कब्जा काश्त भूमि:-

चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 60/25		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
159/161	18	21, 22/0.253 है.प्र.
159/162	38	1, 2/0.253 है.प्र.

2. जगसीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख साकिन बोलावाली की कब्जा काश्त भूमि:-

चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 60/25		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
158/163	41	5/2/0.026 गै.मु.रास्ता, 5/3/0.025 गै.मु.खाला
159/162	38	9, 13/0.253 है.प्र. 14/1/0.126

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/2797 दिनांक 23.07.2024 एवं पत्रांक 4876 दिनांक 31.12.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुखिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7-1-2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

